

अनुभव प्रमाण पत्र, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सरपंच के लेटर हेड पर जारी किया जाना है।

अनुभव प्रमाण पत्र

मैं, शैलेश यादव (ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम).
ग्राम प्रधान/सरपंच- ग्राम पंचायत शुल्हन उर्फ परसोतिया विकास
खंड: मनिहारी जनपद गाजीपुर

..... प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती
..... (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती
शिशुलेश सिंह यादव (पिता/माता का नाम), निवासी
रमा शेकर सिंह यादव (ग्राम पंचायत का नाम), जिसका
आधार संख्या शुल्हन उर्फ परसोतिया 9506 1136 53 54 (आधार संख्या) है, ने हमारी
ग्राम पंचायत शुल्हन उर्फ परसोतिया में पेयजल वितरण प्रणाली के संचालन/प्लंबिंग
और रखरखाव में न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।
यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये
जाते हैं तो इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए
मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक:.....

शैलेश यादव
प्रधान.....
ग्राम पंचायत शुल्हन उर्फ परसोतिया
हस्ताक्षर और मुहर परसोतियां
विखण्ड-मनिहारी, जिला-गाजीपुर
ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम
(ग्राम पंचायत)